<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u> <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102021-230809 CG-DL-E-29102021-230809

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519] No. 519] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 28, 2021/कार्तिक 6, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2021/KARTIKA 6, 1943

## ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2021

फा. सं. 18/1/बीईई/डिस्कॉम/2021.—ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (थ) के साथ पिठत धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखापरीक्षा के संचालन के लिए रीति और अंतराल) विनियम 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात:-

- (1) इन विनियमों का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखापरीक्षा के संचालन के लिए रीति और अंतराल) संशोधन विनियम, 2021 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- 2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखापरीक्षा के संचालन के लिए रीति और अंतराल) विनियम 2010 में, विनियम 1 के बाद, निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

6250 GI/2021 (1)

"2क. लागू होना - ये विनियम अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट ऐसी विद्युत वितरण कंपनी पर लागू नहीं होंगे, जिसके लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखापरीक्षा के संचालन के लिए तरीके और अंतराल) विनियम, 2021 लागू होते हैं।"

> अभय बाकरे, महानिदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./385/2021-22]

टिप्पण – मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में तारीख 28 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना सं. 02/11(6)/05-बीईई के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

# BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2021

- **F. No. 18/1/BEE/DISCOM/2021.**—In exercise of the powers conferred by clause (g) of subsection (2) of section 58, read with clause (q) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals of Time for Conduct of Energy Audit) Regulations, 2010, namely:-
- 1. (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals of Time for Conduct of Energy Audit) Amendment Regulations, 2021.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals of Time for Conduct of Energy Audit) Regulations, 2010, after regulation 1, the following regulation shall be inserted, namely:-
- "2A. Application.—These regulations shall not apply to an electricity distribution company specified as designated consumer to which the Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals for Conduct of Energy Audit in Electricity Distribution Companies) Regulations, 2021 applies.".

ABHAY BAKRE, Director General

[ADVT.-III/4/Exty./385/2021-22]

**Note. -** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification No. 02/11(6)/05-BEE, dated the 28th April, 2010.